

पुनश्च :-

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार।

आरोपीगण बलवीर, जहान सिंह, प्रेमा एवं संगीता सहित श्री गब्बर सिंह गुर्जर अधिवक्ता।

प्रकरण अभी कमिटल तर्क हेतु नियत है।

यह आदेश आरक्षी केंद्र मौ की ओर से प्रस्तुत अपराध क्रमांक 64/2016 अन्तर्गत धारा 306 एवं 302 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. के अभियोग पत्र के आधार पर अपराध के उपार्षण के सम्बन्ध में किया जा रहा है।

अभियुक्तगण को अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ धारा 207 द.प्र.सं. के प्रावधान के अनुसार प्रदान की जा चुकी हैं।

अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक :- 11/12/2015 को दोपहर लगभग 03:00 बजे मृतिका शिमला का घर स्थित ग्राम सेंथरी में मृतिका शिमला द्वारा जहर खाने पर उसे बिरला अस्पताल भर्ती कराया गया, मृतिका की हालत गंभीर होने पर मृतिका को दिनांक : 13/12/2015 को रैफर किये जाने दिल्ली में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ शिमला की ईलाज के दौरान मृत्यु हो गई। हॉस्पिटल द्वारा इसकी सूचना स्थानीय थाने को दिये जाने पर थाना राजेन्द्र नगर दिल्ली द्वारा मार्ग कायम कर सूचना थाना मौ को प्रेषित की गई। थाना मौ द्वारा राजेन्द्र नगर थाने की मार्ग जांच पर आरोपीगण के विरुद्ध दिनांक : 02/04/2016 को अपराध क्रमांक 64/2016 अन्तर्गत धारा 306 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी। मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया। घटनास्थल का नक्शा-मौका बनाया गया। विवेचना के दौरान आरोपीगण के विरुद्ध हत्या के तथ्य प्रकट होने के कारण आरोपीगण के विरुद्ध धारा 302 भा.द.सं. का इजाफा किया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। दिनांक 12/01/2016 को मृतिका शिमला के स्टमक, लीवर मय गाल ब्लेडर, स्प्लिन, किडनी एवं विसरा सीलबंद कर जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। साक्षीगण रोबिन, दारा सिंह, हरगोविन्द, जोगेश, राजू, कृपाराम, रीना, रामवरन एवं नाथूराम

के कथन लेखबद्ध किये गये। विवेचना के उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र अन्तर्गत धारा 306 एवं 302 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

उभय पक्ष को सुनने के बाद प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से आरोपी के विरुद्ध धारा 302 एवं 306 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. के अधीन आरोप विरचित करने के प्रथम दृष्टया उचित आधार प्रतीत होते हैं। उक्त अपराध की धारा 302 एवं 306 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. के विचारण का अधिकार अनन्य रूप से माननीय सत्र न्यायालय को प्राप्त है। अतः यह प्रकरण माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश भिण्ड को उपार्पित किया जाता है।

अभियुक्तगण बलवीर, जहान सिंह, प्रेमा एवं संगीता प्रतिभूति पर मुक्त है, उन्हें अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ धारा 207 द.प्र.सं. के प्रावधान के अनुसार प्रदान की जा चुकी हैं। अभियुक्तगण को निर्देशित किया गया है कि वह आगामी नियत तिथि : 23/02/2017 को आवश्यक रूप से माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय गोहद, जिला-भिण्ड के न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहें।

प्रकरण के कमिटल की सूचना जिला दण्डाधिकारी भिण्ड, लोक अभियोजक व अपर लोक अभियोजक व मालखाना नाजिर गोहद को प्रेषित की जावें।

पत्रावली संचित कर माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय भिण्ड के न्यायालय में भेजी जावे।